न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 60 / 2016 (उदयपुर आर्डर)

विजयसिंह उर्फ वजेसिंह पिता कालूसिंह जी राव, जाति राजपूत, निवासी गांव मरतड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम – 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर क्रमांक प.12/3(68)राज/आर/16/1994–96 दिनांक 18–10–2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस):– 1– श्री गजेन्द्रसिंह नाहर अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 16–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर ने अपने आदेश क्रमांक प.12 / 3(68)राज / आर / 16 / 1994–96 दिनांक 18–10–2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी मावली की अनुशंषा के आधार पर ग्राम मरतडी की बिलानाम आराजी नंबर 579 मीन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 10 बिस्वा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मरतडी के पास स्थिति भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18–10–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट काबिज है, इन तथ्यों को छुपाते हुए बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये आदेश पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाये।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में विवादित आराजी के कुछ रकबे पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने के कारण उसे वर्ष 1983, 1985, 2005 व 2014 में नोटिस जारी किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के लिए घोषणात्मक वाद उपखण्ड अधिकारी मावली के यहां प्रकरण संख्या 39/2016 प्रस्तुत किया गया है, जो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि राजकीय बिलानाम भूमि में से जिला कलक्टर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित की गयी है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है तथा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करते समय अपीलान्ट का कब्जा हो ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं बवक्त आवंटन भूमि ओक्यूपाईड हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतएवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील प्रथम दृष्टया इसी स्तर पर खारिज योग्य है। प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट उक्त प्रकरण में उसका पुराना कब्जा होने के आधार पर उक्त आरक्षण को चुनौती दी गयी है, जैसाकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया जा चुका है कि यह भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट के हक अधिकारों का कोई विनिश्चियन अभी तय नहीं हुआ है। अतएवं राजकीय भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के संबंध में बवक्त आवंटन अपीलान्ट काबिज हो, ऐसी कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा वैसे भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है।

समग्र रूप से दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से तथा अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–10–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर निर्णय आज दिनांक 16–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर